न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/14** दायर दिनाँक **12.01.2018**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. हड़मानराम पुत्र रामूराम, जाति—जाट, उम्र—65साल, निवासी—बल्दू, तहसील—लाडनूँ, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. हरदीनराम पुत्र रामूराम, 2. चौथाराम पुत्र तिलोकाराम, 3. गोविन्दराम पुत्र पेमाराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—बल्दू, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :—
1. श्री अल्ताफ हुसेन, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री मोहम्मद इकबाल, अधिवक्ता, प्रतिवादीग।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **17.01.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का खेत खसरा नम्बर 660/453 रकबा 27.10 बीघा जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 453 रकबा 72.18 बीघा भूमि वादी प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 03 के 1/2 खाते में वाकै शरहद दूदोली में दर्ज है। नकल पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा वादग्रस्त भूमि का भौतिक बन्टवारा वर्षों पूर्व हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को अन्य पुश्तैनी खेताय में से उनका हिस्सा दे दिया गया है तथा उनका निर्वाली खातेदारी में नाम दर्ज हो चुका है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तथा अपने हिस्से में निर्विवाद रूप से काबिज काश्त है। हस्तगत वाद में वर्णित खेत खसरा नम्बर 453 रकबा 72.18 बीघा भूमि में से 27.10 बीघा कुल 55 बीघा भूमि वर्षों पहले वादी के तन्हा बन्ट व कब्जाकाश्त में चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 453 की शेष भूमि 45.08 बीघा सदैव प्रतिवादी संख्या 03 के हक व कब्जाकाश्त में चली आ रही है। इसी अनुरूप वादी व प्रतिवादी संख्या 03 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते आ रहे हैं, जिसको नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित पेश किया जा रहा है जो वाद का अभिन्न भाग है।

खेत खसरा नम्बर 660/453 रकबा 27.10 बीघा की खातेदारी में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नाम खातेदारी में दर्ज होने जबकि उक्त खेत सम्पूर्ण वादी के मौखिक बन्टवारा अनुसार वर्षों पहले तन्हा हक व बन्ट में आने के पश्चात् व इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 453 रकबा 72.18 बीघा की खातेदारी में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नाम 1/2 खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 03 का नाम 1/2 खातेदारी में गलत अंकन दर्ज हो गया है जबकि वास्तविकता अनुसार खसरा नम्बर 453 रकबा 72.18 बीघा में से 27.10 बीघा भूमि दक्षिणी वादी के बन्ट में सदैव रही है तथा शेष उत्तरी 45.08 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 के कब्जाकाश्त व हक अधिकार की रही है। उक्त खेत की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटवाने व वादी के नाम 27.10 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 03 के नाम 45.08 बीघा भूमि रिकॉर्ड दुरस्त करने हेतु यह वाद पेश है।

खेत खसरा नम्बर 660/453 रकबा 27.10 बीघ व खसरा नम्बर 453 रकबा 72.18 बीघा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का किसी प्रकार का हक अधिकार कभी नहीं रहा खसरा नम्बर 660/453 सम्पूर्ण वादी व खसरा नम्बर 453 में से 27.10 बीघा दक्षिणी वादी के सदैव तन्हा बन्ट में व खसरा नम्बर 453 की शेष 45.08 बीघा उत्तरी प्रतिवादी संख्या 03 के कब्जाकाश्त व हक अधिकार में नजरीनक्शा अनुसार रहने तथा उक्त खेताय की खातेदारी में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नुमाईशी नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की मदाखलत वादी के बन्ट व कब्जे की भूमि में न करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का भी वाद पेश है।

वाद में तहसीलदार डीडवाना आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद में राज्य सरकार के विरुद्ध

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

बिनाया दावा बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादीगण के बीच वर्षों पहले मौखिक बन्टवारा नजरीनक्शा मुताबिक होने व प्रतिवादी संख्या 03 के बन्ट में रहने व आपस में सीमा सम्बन्धि विवाद निरन्तर होने व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम इन खेताय की भूमि में गलत दर्ज होने से निरन्तर हुदुद अदालत वाला उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि,

खेत खसरा नम्बर 660/453 रकबा 27.10 बीघा भूमि वादी के बन्ट में आने से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नाम खातेदारी से हटाया जाकर वादी के नाम सम्पूर्ण भूमि घोषित की जावे।

खेत खसरा नम्बर 453 रकबा 72.18 बीघा में से दक्षिणी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार 27.10 बीघा भूमि वादी व शेष उत्तरी 45.08 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 के नाम घोषित की जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जावे। नजरीनक्शा अनुसार बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा किया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया। वादी की पहचान वकील श्री अल्ताफ हुसेन ने की है व प्रतिवादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद इकबाल ने की है। राजीनामा के मुताबिक, पक्षकारान्, वाद के संलग्न नजरीनक्शा अनुसूची "अ" व दावा अनुसार बन्टवारा चाहते हैं।

वाद के समर्थन मे, वादी ने शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी ग्राम दूदोल सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 370/323 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा किशतवार मौजा दूदोली की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–14/2018
दायर दिनाँक 12.01.2018, निणर्य दिनाँक 17.01.2017
हड़मानराम बनाम् हरदीनराम, वगैरा।

प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम दूदोल सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 369/322 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् दावानुसार व नजरीनक्शा अनुसूची "अ" मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् दावानुसार नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के परिप्रेक्ष्य में खातेदारी चाहते है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा व नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के परिप्रेक्ष्य में दावा डिकी किया जाना हमारे मत मे उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, शरहद दूदौली में निम्नलिखित खसरान् की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान में दर्ज खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 660/453 रकबा 27.10 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 453 रकबा 72.18 बीघा में से दक्षिणी हिस्सा हिस्सा रकबा 27.10 बीघा भूमि का वादी को व इस खसरे की शेष भूमि उत्तरी हिस्सा रकबा 45.08 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 17.01.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **14/2018** दायर दिनाँक **12.01.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हड़मानराम पुत्र रामूराम, जाति–जाट, उम्र–65साल, निवासी–बल्दू, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हरदीनराम पुत्र रामूराम, 2. चौथाराम पुत्र तिलोकाराम, 3. गोविन्दराम पुत्र पेमाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–बल्दू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **17.01.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अल्ताफ हुसेन, अधिवक्ता, वादी व श्री मोहम्मद इकबाल, अधिवक्ता, प्रतिवादीग ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, शरहद दूदौली में निम्नलिखित खसरान् की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान में दर्ज खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. खसरा नम्बर 660/453 रकबा 27.10 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 453 रकबा 72.18 बीघा में से दक्षिणी हिस्सा हिस्सा रकबा 27.10 बीघा भूमि का वादी को व इस खसरे की शेष भूमि उत्तरी हिस्सा रकबा 45.08 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–...... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **17.01.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner